भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या -1221**

(जिसका उत्तर गुरुवार, 12 दिसंबर, 2013/21 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

**<u>अदावित निवेशक निधियां</u>**

**1221. श्री के. सुधाकरण:**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2013 के अंत में सरकार द्वारा अदावित निवेशक निधियों की मात्रा के संबंध में किए गए मूल्याकंन का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उन कंपनियों की पहचान की है जिनके पास ऐसी अदावित निधियां हैं लेकिन उन्होंने इसके बारे में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को नहीं बताया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अदावित निवेशक निधि को अंततः निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि को स्थानान्तरित किया जाता है, लेकिन निवारक अर्थशास्ति खंडों के अभाव में अनेक कंपनियां ऐसी अदावित निधि को अपने तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में दिखा देती हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/ किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**
**(श्री सचिन पायलट)**

**(क) से (ड.):** कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के तहत कंपनियों के लिए अप्रदत्त लाभांशों, परिपक्व जमा राशियों और डिबेंचरों की उस राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करना अपेक्षित है जिनका दावा अदायगी हेतु देय तिथि से सात वर्षों तक नहीं किया गया है तथा अप्रदत्त पड़ी है। वर्ष 2001-02 से 2012-13 तक की अवधि के लिए, 693.37 करोड़ रूपए

की राशि आईईपीएफ में जमा की गई है, जो भारत की संचित निधि (सीएफआई) का भाग है। सरकार की जानकारी में अभी ऐसी कोई कंपनी नहीं आई है जिसने अदावित ऐसी राशि को अपने तुलन पत्रों में अंतरित किया हो।

*****